रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 616] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 1998/भाद्र 26, 1920
No. 616] NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 1998/BHADRA 26, 1920

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितम्बर, 1998

का. आ. 826 (अ).—संविधान केअनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक (चाहे वह प्रशासक, उप राज्यपाल या मुख्य आयुक्त के रूप में जाना जाता हो) राष्ट्रपति के नियंत्रण के अध्यधीन ओर अगले आदेशों तक दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (1961 का 28) के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेगा ओर राज्य सरकार के कार्य संपन्न करेगा।

[फा० सं०-यू-11030/3/98-यू०टी०एल०]

पी० के० जलाली, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th September, 1998

S. O. 826 (E).—In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrator of every Union Territory (whether known as the Administrator, the Lieutenant Governor or the Chief Commissioner) shall, subject to the control of the President and untill further orders, also exercise the powers and discharge the functions of State Government under the Dowry Prohibition Act, 1961 (28 of 1961).

[F. No. U-11030/3/98-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.